उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

२९/७/२५ आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गयी। वकील वादी उप०। वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन किया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना नं० :– 75/2024
दायर दिनांक :– 18.12.2024
निर्णय दिनांक :– 29/7/25

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र मातादीन जाति खाती निवासी कैलाश नगर रेवाडी रोड नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि० .....**प्रार्थीगण**

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपुतली–बहरोड। .....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री दाताराम यादव अधिवक्ता प्रार्थी।
2. तहसीलदार बहरोड़ पेरोकार सरकार अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 127 रकचा 30 ऐयर में 58/3000 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा राधेश्याम पुत्र गणपत से मौके पर कब्जा लेकर प्रतिफल अदा का खरीद की थी जिसका मुताबिक बयनामा इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 मे इंतकाल सं0 413 दिनांक 25.06.2010 में राधेश्याम पुत्र गणपत हिस्सा 58/3000 के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मातादीन हिस्सा 58/2000 साकिन नारनौल खातेदार स्वीकार कर दिया गया जमाबन्दी की नकल संलग्न है। राजस्व विभाग द्वारा जमाबन्दी संवत 2063–2066 के पश्चात चौसाला की कार्यवाही करते समय बिना जमाबन्दी संवत 2063–66 का अवलोकन किये बिना पुछ ताछ किये प्रार्थी की खातेदारी की हटाते हुये पुवर्वत राधेश्याम को खातेदार दर्ज कर जो खिलाफ कब्ज खिलाफ जमाबन्दी खिलाफ मौका है। जबकि 58/3000 भाग से राधेश्याम का कोई लेना देना नहीं हैलेकिन रिकार्ड चौसाला में गडबड होने से प्रार्थी के हक व अधिकार व हित प्रभावित हो रहे है। मिन प्रार्थी ने उक्त आराजी को जरिये बयनामा खरीद की थी लेकिन उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना प्रार्थी के नाम की पुछताछ किये बिना मिन प्रार्थी को सुने ही प्रार्थी का नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं करते हुये राधेश्याम पुत्र गणपत हिस्सा 58/3000 दर्ज कर दिया गया जो नाम राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होता चला आ रहा है। मिन प्रार्थी को उक्त आराजी मे मेरे गलत नाम व हिस्से की जानकारी नहीं थी लेकिन अब मिन प्रार्थी आराजी मुतनाजा में अपने खातेदारी हिस्से पर बैंक से किसान कडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल लेकर बैंक में गये तो बैंक वालो ने उक्त भूमि के शिकर्ड मे व मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड परिवार राशन कार्ड में नाम भिन्न होने कारण किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इन्कार कर दिया व राजस्व रिकार्ड मे नाम शुद्धी करवाने के लिये कहा, तब मिन प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की जमाबन्दी व अपने सभी कागजात लेकर तहसीलदार साहब बहरोड से मिली तो तहसीलदार साहब बहरोड ने सभी रिकार्ड देखकर कहा कि आप सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दायर कर नाम दुरस्त करवाऐ तथा अपनी रिपोर्ट सं. भू० अ०/2024/2101

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

दिनांक 08.10.2024 में अंकित किया है कि नामा. 413 मे हिस्सा नियम 136 के तहत दुरस्त करवाने के पश्चात हाल जमाबन्दी मे अमल किया जाना संभव है। इसलिये मिन प्रार्थीया अपने वकील साहब से मिलकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का नाम बिना प्रार्थी को सुने बिना रिकार्ड देखे प्रार्थी का नाम व हिस्सा जो काबिले दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है एवं राजस्व रिकार्ड मे सही नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। ऐसी सूरत मे आराजी खसरा नम्बर हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 127 रकबा 30 ऐयर मे 58/3000 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा राधेश्याम पुत्र गणपत से मौके पर कब्जा लेकरप्रतिफल अदा का खरीद की थी जिसका मुताबिक बयनामा इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 मे इंतकाल सं0 413 दिनांक 25.06.2010 में राधेश्याम पुत्र गणपत हिस्सा 58/3000 के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मातादीन हिस्सा 58/3000 शुद्ध किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात व गिरवारीयात मे अंकन करने के आदेश फरमाया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम भगवाडी कलां तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज० मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का नाम व हिस्सा राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत दर्ज किया गया है जो एक क्लेरिकल गलती है। जिसे शुद्ध करने का प्रार्थना पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 127 रकबा 30 ऐयर मे 58/3000 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा राधेश्याम पुत्र गणपत से मौके पर कब्जा लेकर प्रतिफल अदा का खरीद की थी जिसका मुताबिक बयनामा इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 मे इंतकाल सं० 413 दिनांक 25.06.2010 में राधेश्याम पुत्र गणपत हिस्सा 58/3000 के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मातादीन हिस्सा 58/3000 के आदेश हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात्त व गिरवारीयात में अंकित करने के आदेश किये जाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बहरोड़ को तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पेरोकार सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024/2101 दिनांक 08.10.2024 से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि भगवाडीखुर्द के खसरा नंबर 127 रकबा 0.30 है० नामा० स० 13 किस्म बैयनामा में ओमप्रकाश पुत्र मातादीन का हि० 58/3000 एवं बाकि बदस्तूर राधेश्याम पुत्र गणपत का हिस्सा 22/3000 दर्ज करवाकर स्वीकृत करवाया हुआ है। जबकि बैयनामा में ओमप्रकाश पुत्र मातादीन ने 57.57 वर्गमीटर भूमि राधेश्याम पुत्र गणपत से क्रय की थी। राधेश्याम का हि० जमाबंदी सम्वत 2063–66 के खा०स० 192 में हि० 3/112 के अनुसार भूमि 0.00803571428571 वर्ग मीटर होती है। मुताबिक रजिस्टर्ड बैयनामा में ओमप्रकाश ने 57.57 वर्ग मीटर क्रय की थी। किन्तु तत्कालीन पटवारी द्वारा नामा० स० 413 में ओमप्रकाश को 57.57 वर्ग मी० के स्थान पर 58 वर्ग मी० भूमि की थी एवं शेष हि० राधेश्याम का 22 वर्ग मी० अंकित किया जबकि राधेश्याम की भूमि 0.00223571428571 वर्ग मीटर शेष रहती है। जो कि नामा० स० 413 में हिस्सा गलत होने के कारण वर्तमान जमाबंदी में हिस्सा एक न होने के कारण अमल किया जाना संभव नहीं है। नामा० स० 413 दिनांक 24.06.2010 को स्वीकार हुआ जमाबंदी संवत 2063–2066 में खाता संख्या 192 पर उक्त नामांतरण का नोट अंकित है। जमाबंदी संवत 2067–70 तैयार करते वक्त उक्त नामांतरण का अमल नहीं किया गया एवं हाल जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 283 में राधेश्याम पुत्र गणपत हि० 3/112 जाति खाती

उपखण्ड अधिकारी

खातेदार दर्ज है। नामा० स० 413 में हिस्सा नियम 136 के तहत दुरस्त करवाने पश्चात ही हाल जमाबंदी में अमल किया जाना संभव होगा बाबत् निवेदन किया है।

हमने वकुलाय की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अध्ययन किया एवं विद्ववान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। नामा० स० 13 में ओमप्रकाश पुत्र मातादीन का हि० 58/3000 एवं बाकि बदस्तूर, राधेश्याम पुत्र गणपत का हिस्सा 22/3000 दर्ज करवाकर स्वीकृत करवाया हुआ है। जबकि बैयनामा दिनांक 12.01.2010 में ओमप्रकाश पुत्र मातादीन ने 57.57 वर्गमीटर भूमि राधेश्याम पुत्र गणपत से क्रय की थी। राधेश्याम का हि०जमाबंदी सम्वत 2063–66 के खा०स० 192 में हि० 3/112 के अनुसार भूमि 0.00803571428571 वर्ग मीटर होती है। मुताबिक रजिस्टर्ड बैयनामा में ओमप्रकाश ने 57.57 वर्ग मीटर क्रय की थी। तत्कालीन पटवारी द्वारा नामा० स० 413 भरते समय ओमप्रकाश को 57.57 वर्ग मी० के स्थान पर 58 वर्ग मी० भूमि की एवं शेष हि०राधेश्याम का 22 वर्ग मी० अंकित किया गया है तथा राधेश्याम की 0. 00223571428571 वर्ग मीटर भूमि शेष रहती है। जिससे इस हाल जमाबन्दी में अमल नही किया गया जो काबिल दुरूस्ती है। तहसीलदार बहरोड़ ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त दुरूस्ती नही किये जाने बबात कोई आपत्ती दर्ज नही की गई है। जिस सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 127 वाके ग्राम भगवाडी कॅला तहसील बहरोड़ का इन्तकाल संख्या 413 दिनांक 25.06.2010 में दर्ज राधेश्याम पुत्र गणपत हिस्सा 3/112 हिस्सा में से 58/3000 हिस्सा पर ओमप्रकाश पुत्र मातादीन राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने के ओदश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी हो।

आज दिनांक 29.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)